

आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर निगम की बसों का हो व्यवस्थित एवं सुदृढ़ संचालन

चालक/परिचालक यात्रियों से रखे मृदुल व्यवहार

बस अड्डों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, सुलभ शौचालय की
साफ सफाई आदि की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित हो

प्रतिबन्धित वस्तुओं एवं ज्वलनशील पदार्थों का बसों में संचालन कदापि न हो

समस्त चालक/परिचालक डियूटी के दौरान अनिवार्य रूप से वर्दी में
कार्यरत रहे—दयाशंकर सिंह

लखनऊ : 08 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा एवं दशहरा के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ संचालन के संबंध में निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि चालक/परिचालक यात्रियों से मृदुल व्यवहार करें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि वाहनों को तत्काल निर्धारित 31 एवं 13 बिन्दुओं के मानक के अनुसार भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण कराया जाये तथा परीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण/मरम्मत कार्य तत्काल कराना सुनिश्चित करें। फिटनेस की स्थिति में वाहनों का आउटशेडिंग कराते हुए संचालन किया जाये।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों को ऑन रोड स्थिति में रखते हुए शत प्रतिशत संचालन हेतु हमेशा तैयार रखा जाये।

निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को परिवहन सुविधा के साथ ही बस अड्डों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, सुलभ शौचालय की साफ सफाई आदि की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा बस स्टेशनों में स्थित शौचालयों के पास चूने का छिड़काव सुनिश्चित किया जाये।

बसों के शीशे टूटे न हो एवं सीट फटी हुई न हो इसके लिए वाहनों को मार्ग पर भेजने से पूर्व निरीक्षण/फिटनेस के साथ साफ-सुथरी स्थिति में बसों को संचालित कराया जाये।

परिवहन मंत्री ने कहा कि समस्त यात्रियों से मृदुल व्यवहार किये जाने हेतु समस्त चालकों/परिचालकों के साथ बस स्टेशनों पर तैनात समस्त स्टाफ को निर्देशित किया जाये तथा चालकों/परिचालकों को समय-समय पर यात्रियों से मृदुल व्यवहार किये जाने हेतु प्रशिक्षित भी किया जाये।

मार्ग पर मिलने वाले प्रत्येक यात्रियों को शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करते हुए बैठाया जायें तथा गतव्य स्थान पर उतारा जाये।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मा० सांसद/विधायक/जनप्रतिनिधि व दिव्यांगजन के आने पर यथा संभव बस में आरक्षित सीट उपलब्ध करायी जाये। प्रतिबन्धित वस्तुओं एवं ज्वलनशील पदार्थों का बसों में संचालन कदापि न हो। मार्ग पर पड़ने वाले समस्त बस स्टेशनों से होकर बसें संचालित करायी जाये।

समस्त चालक/परिचालक डियूटी के दौरान अनिवार्य रूप से वर्दी में कार्यरत रहे। बस स्टेशनों पर उदघोषणा यंत्र हमेशा कियाशील स्थिति में रखा जाये। सभी बसों में फस्टऐड किट की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

बसों में यात्रारत यात्री के साथ ले जाने वाले घरेलू सामान को निर्धारित मानक से अधिक भार होने पर नियमानुसार बुक करके ले जाया जाये।

सम्पर्क सूत्र— आशीष सिंह

राघवेन्द्र / 04:30 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in